अनुदान संख्या 99 – लक्षद्वीप
GRANT No. 99–LAKSHADWEEP

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	218,66,00	222,80,00	217,18,48	–5,61,52
पूरक	Supplementary	4,14,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,11,37
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	38,03,00	38,38,00	36,67,68	–1,70,32
पूरक	Supplementary	35,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,16,28

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (561.52 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 414.00 लाख रु. के पूरक अनुदान को अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs. 561.52 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs 414.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and constituted 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
ग - ग्रामीण विकास मंत्रालय	**C – Ministry of Rural Development**				
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	213.00	303.23	348.04	+44.81
पु.	R.	90.23			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
घ - विद्युत मंत्रालय	**D – Ministry of Power**					
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"					
बिजली	Power					
मू.	O.	2987.00				
पू.	S.	37.00		3094.22	3184.51	+90.29
पु.	R.	70.22				
ङ - खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय	**E – Ministry of Food Processing Industries**					
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"					
खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	Food, Storage and Warehousing					
मू.	O.	370.00				
				495.00	494.98	–0.02
पु.	R.	125.00				
झ - माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**I - Department of Secondary Education and Higher Education**					
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"					
सामान्य शिक्षा	General Education					
मू.	O.	2025.00				
पू.	S.	259.00		2408.10	2319.25	–88.85
पु.	R.	124.10				
ध - जहाजरानी मंत्रालय	**S – Ministry of Shipping**					
मुख्य शीर्ष "3051"	Major Head "3051"					
पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Ports and Light Houses					
मू.	O.	901.00				
				925.21	1051.91	+126.70
पु.	R.	24.21				
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"					
जहाजरानी	Shipping					
मू.	O.	6363.00				
				5587.55	4939.34	–648.21
पु.	R.	–775.45				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
फ - शहरी विकास मंत्रालय	**V – Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	238.00	242.30	145.83	–96.47
पु.	R.	4.30			
य - नागर विमानन मंत्रालय	**Z – Ministry of Civil Aviation**				
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागर विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	738.00	822.57	1164.67	+342.10
पू.	S.	111.00			
पु.	R.	–26.43			

(I) 158.80 लाख रु. का प्रावधान (6.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छः शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 125.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2216" - "सामान्य - आवास बोर्डों/निगमों आदि को सहायता - लक्षद्वीप आवास विकास बोर्ड" के अंतर्गत बोर्ड के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "2202" - "सामान्य - ग्राम पंचायतों को सहायता - पंचायतें" के अंतर्गत 954.22 लाख रु. के मूल प्रावधान को 200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1154.22 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो स्कूलों के लिए सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए पूर्ति आदेशों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 66.79 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "3052" - " समुद्रपार जहाजरानी - जहाजरानी सेवा - भारतीय जहाजरानी निगम" के अंतर्गत 1423.66 लाख रु. की बचत (6363.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

(I) Provision of Rs.158.80 lakhs (including token supplementary grant of Rs.6.00 lakhs) remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.125.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2216"- "General – Assistance to Housing Board/Corporation etc. – Lakshadweep Housing Development Board" - due to availability of unspent balances of previous years with the Board.

(II) Under Major Head "2202" – "General – Assistance to Gram Panchayats – Panchayats" - the original provision of Rs.954.22 lakhs was augmented to Rs.1154.22 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.66.79 lakhs - due to non-finalisation of supply orders for procurement of materials for schools.

(III) Under Major Head "3052" – "Overseas Shipping – Shipping Service – Shipping Corporation of India" – saving of Rs.1423.66 lakhs (against the sanctioned provision of

तुलना में) निगम के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

Rs.6363.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years with the Corporation.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 53.23 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 70 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of Rs.53.23 lakhs occurred constituting 70 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं :-

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2515'' - ''अन्य व्यय - द्वीप परिषद/पंचायत'' - 136.88 लाख रु. का अधिक व्यय (176.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जिला पंचायतों को अंतरित स्कीमों को लागू किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2515" – "Other Expenditure– Island Council/Panchayat" - excess of Rs.136.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.176.00 lakhs) was due to implementation of the schemes transferred to District Panchayats.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2801'' - ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - लक्षद्वीप में विद्युत आपूर्ति - विद्युत संयंत्र और अनुषंगी निर्माण कार्य'' - 189.77 लाख रु. का अधिक व्यय (37.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2988.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते के 50% का मूल वेतन में विलयन किए जाने और आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के बकाया की अदायगी किए जाने की वजह से अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "2801" – "Diesel/Gas Power Generation – Supply of Electricity in Lakshadweep– Power Plant and Ancillary Works" – excess of Rs.189.77 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2988.00 lakhs including supplementary grant of Rs.37.00 lakhs) was due to additional requirement owing to merger of 50% of dearness allowance with basic pay and payment of arrears of Assured Career Progression Scheme.

(गा) मुख्य शीर्ष ''2408'' - ''खाद्य - अधिप्राप्ति और आपूर्ति'' - खाद्यान्नों की खरीद'' - 124.98 लाख रु. का अधिक व्यय (370.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानसून स्टाक के खाद्यान्नों की अतिरिक्त अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुआ।

(C) Major Head "2408" – "Food – Procurement and Supply – Purchase of Food Grains" – excess of Rs.124.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.370.00 lakhs) was due to additional procurement of food grains for monsoon stock.

(घा) मुख्य शीर्ष ''3051'' - ''लघु पत्तन - अन्य व्यय - बंदरगाह सुविधाएं'' - 138.62 लाख रु. का अधिक व्यय (817.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बंदरगाह के सुधार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(D) Major Head "3051" – "Minor Ports – Other Expenditure – Harbour Facilities" – excess of Rs.138.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.817.60 lakhs) was due to additional requirement for improvement of harbour.

(ङ) मुख्य शीर्ष ''3053'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - हेलीकाप्टर सेवाओं को अदायगी'' - 314.36 लाख रु. का अधिक व्यय (111.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 838.84 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ईंधन की कीमतों और हेलीकॉप्टर के उड़ान घंटों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(E) Major Head "3053" – "General – Other Expenditure – Payment to Helicopter Services" – excess of Rs.314.36 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.838.84 lakhs including supplementary grant of Rs.111.00 lakhs) was due to increase in fuel prices and flight hours of the helicopter.

(II) पांच शीर्षों के अंतर्गत 293.69 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत से 87 प्रतिशत तक था।

(II) Under five heads excess of Rs.293.69 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 20 percent to 87 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (170.32 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 35.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.170.32 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.35.00 lakhs obtained in March, 2005 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
फ - शहरी विकास मंत्रालय	**V – Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	250.00	388.23	388.24	+0.01
पु.	R.	138.23			

(I) 15.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.15.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) तीन शीर्षों के अंतर्गत 200.07 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 44 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक थीं।

(II) Under three heads savings of Rs.200.07 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 44 percent to 54 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - सामान्य पूल आवास - सरकारी क्वार्टरों का निर्माण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 138.24 लाख रु. का अधिक व्यय (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिहायशी भवनों की अधिक और शीघ्र आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – General Pool Accommodation – Construction of Government Quarters" – excess of Rs.138.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to more and early requirement of residential buildings.